



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2013—श्रावण 12, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-03-46-2012-1-पांच (42).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि कोई परिवहनकर्ता जो मध्यप्रदेश राज्य में यानान्तरण करता है, नामांकन के लिये आवेदन प्ररूप 61-क में और विवरण प्ररूप 61-ग में इलेक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

2. जहाँ प्ररूप 61-क और प्ररूप 61-ग डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहाँ यथास्थिति, प्ररूप 61-क और प्ररूप 61-ग की सम्यक्रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-03-46-2012-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-03-46-2012-1-पांच (42), दिनांक 3 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव।

Bhopal, the 3rd August 2013

No. F-A-3-46-2012-1-V (42).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a transporter who is involved in trans-shipment in the State of Madhya Pradesh, shall submit the application for enrolment in Form 61-A and the statement in Form 61-C electronically through the official web portal of the Department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. Where Form 61-A and Form 61-C is not submitted with digital signature, duly signed hard copy of the Form 61-A and Form 61-C, as the case may be, shall be submitted to the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorized by the Commissioner in this behalf.

3. This notification shall come into force from 1st July, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.